प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 28.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना मुगलपुराः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रो निर्माण/तस्करी, अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.12.2024 को उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस 12 बोर जिन्दा के अभियुक्त सलमान पुत्र बादशाह निवासी वारसीनगर गली न0 6 थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0-284/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0-0055/2023 धारा 498ए/323/324/504 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम

2-मु0अ0स0-150/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम

3-मु0अ0स0-264/2023 धारा ¾ जुआ अधिनियम

2- विकास खण्ड बिलारी व बीज स्टोर बिलारी पर चोरी करने के अभियुक्त को बिलारी पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिलारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 689/2024 धारा 305 बीएनएस जिसमें अभि0 द्वारा विकास खण्ड बिलारी स्थित सहसपुर से एक बैट्रा व इनन्वेटर चोरी कर ले जाना तथा मु0अ0सं0 685/2024 धारा 305 (A) बीएनएस जिसमें खाद बीज की दुकान से 9000/- रूपये चोरी करना पंजीकृत हुआ, उ0नि0 श्री जयवीर मय हमराही पुलिस कर्मियों के साथ आज दिनांक 28/12/2024 को अभियुक्त सादाब पुत्र यामीन उर्फ यासीन निवासी मौहल्ला नई बस्ती रुस्तमनगर सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मु0अ0स0 685/24 से सम्बन्धित 2000/- रूपये व मु0अ0स0 689/24 से सम्बन्धित एक बैट्रा बरामद किया गया वरामदगी के आधार पर दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0-501/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिलारी मुरादाबाद।

2-मु0अ0स0-685/2024 धारा 305 (A) /317(2) बीएनएस।

3-मु0अ0स0-689/2024 धारा 305 /317(2) बीएनएस।

3- दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.12.2024 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत की तहरीर (अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की माँग कर प्रताड़ित करना,मारपीट करना,गाली गलौच करना व धमकी देना व वादिनी का फोन तोड़ देना व वादिनी के साथ छेड़ छाड़ करना व वादिनी के साथ गलत काम करने के संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0स0 759/2024 धारा 85/74/115(2)/352/351(2)/324(2)/64(1)/70(1)बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1-देवेन्द्र सैनी आदि 12 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 27.12.2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल अभियुक्त विष्णु पुत्र रोशन लाल सैनी निवासी धनोरा मण्डी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

4- थाना कटघर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 02 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.12.2024 को थाना कटघर पुलिस द्वारा आरोपीगण 1. नरेन्द्र सिह पुत्र कैलाश सिह नि0 गुलाबवाडी थाना कटघर मुरादाबाद 2. गौरव पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 ग्राम खुशहालपुर थाना मझोला मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।